	प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
22.10.2021	पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान-2021 कैम्प काशीपुरा मे पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट नं. 1 उपस्थित नही रेस्पोडेन्ट नं. 2 उपस्थित वकील अपीलान्ट को सुना गया। पत्रावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.01.11 10:46:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण नं० 245 दि० 13-9-1998 ग्राम रिवररिन्डा तह० करौली मृतक किशन लाल पुत्र श्योपाल जाति मीना की मृत्यु हो जाने पर रेस्पोडेन्ट नं। रामहेत के नाम दर्ज कर स्वीकृत रेस्पोडेन्ट नं 2 द्वारा किया गया है। जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत अपीलान्ट द्वारा की गई है। किशनलाल पुत्र श्योपाल का अपील मे ला औलाद फौत होना बताया गया है। जबकि रेस्पोडेन्ट नं. 1 को नामान्तकरण मे किशनलाल का पुत्र बताते हुये विरासत नामान्तकरण दर्ज किया गया है। जिसकी समस्त कार्यवाही एक ही दिन दिनांक 13/9/98 को की जाकर नामान्तकरण स्वीकृत रेस्पोडेन्ट नं 2 द्वारा किया जाना नामान्तकरण से प्रकट होता है और अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया जाना प्रकट होता है। जबकि अपीलान्ट गिर्राज जो किशन लाल का सगा भाई है को नामान्तकरण कार्यवाही मे सुना जाना उचित प्रतीत होता है। अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है। अत: अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण सं. 245 दिनांक 13/9/1998 ग्राम रिवररिन्डा पटवार हल्का काशीपुरा तहसील करौली निरस्त किया जाता है। पत्रावली नामान्तकरण तहसीलदार करौली को रिमाण्ड कर निर्देश दिया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर मृतक किशनलाल के वारिसान की जांच कर गुणावगुण पर पुनः [illegible] मृतक किशनलाल का विरास[illegible]न्तकरण दर्ज करे। निर्णय [illegible] तहसीलदार करौली [illegible] तहरीर के साथ भिजवायी जावे। प[illegible]वली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.01.11 10:46:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner